अध्याय-I

सामान्य

अध्याय-I

सामान्य

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की स्थापना (अप्रैल 2001) उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अन्तर्गत यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना के क्रियान्वयन और क्षेत्र के सम्बद्ध विकास के लिए की गयी थी। यीडा का मुख्य उद्देश्य राज्य के छः जिलों (गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा एवं आगरा) के अन्तर्गत आने वाले अपने औद्योगिक विकास क्षेत्र का नियोजित विकास सुनिश्चित करना है। यीडा विकास योजनाएं तैयार करता है, भूमि का अर्जन और विकास करता है तथा औद्योगिक एवं अन्य भू-उपयोगों के लिए विकसित भूमि आवंटित करता है। यीडा अपने अधिकार क्षेत्र में भवनों के निर्माण और उद्योगों की स्थापना को भी विनियमित करता है।

यीडा का बोर्ड शीर्ष शासी निकाय है। उ.प्र. सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) यीडा का पूर्णकालिक अधिकारी होता है, जो अन्य अधिकारियों की सहायता से यीडा के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को संचालित करता है।

अप्रैल 2001 में अपनी स्थापना के बाद से ही यीडा की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के अधिकार क्षेत्र से बाहर रही थी। जनवरी 2018 में उ.प्र. सरकार ने सीएजी को यीडा का एकमात्र लेखापरीक्षक नियुक्त किया और वर्ष 2005-06 के बाद की सभी गतिविधियों एवं लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का कार्य सौंपा।

निष्पादन लेखापरीक्षा 2005-06 से 2020-21 की अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि योजनायें बनाना, भूमि का अर्जन, भूमि का विकास, परिसम्पत्तियों का निर्माण, परिसम्पत्तियों का मूल्य निर्धारण, परिसम्पत्तियों का आवंटन/विक्रय, निर्माण गतिविधियों का विनियमन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में यीडा के प्रदर्शन का आंकलन करती है।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की विषय-वस्तु को सात अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है। अध्याय-I में लेखापरीक्षा सौंपना, लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदण्ड, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा की कार्यविधि का वर्णन किया गया है। अन्य छः अध्यायों में यीडा के कार्यकलापों के विभिन्न पहलुओं पर लेखापरीक्षा परिणाम सम्मिलित हैं। उपरोक्त अध्यायों में सम्मिलित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों में यीडा को राजस्व की हानि, कम वसूलियों, आवंटियों को अनुचित लाभ और परिहार्य/अतिरिक्त व्यय के दृष्टान्त सम्मिलित हैं जिनका मौद्रिक मूल्य ₹ 8,125.52 करोड़ है।

प्रस्तावना

1.1 उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) ने ताज एक्सप्रेसवे नामक एक एक्सप्रेसवे के निर्माण की एक परियोजना की परिकल्पना (2001) की, जिसका उद्देश्य (i) दिल्ली से आगरा तक यात्रा के समय को कम करने के लिए एक तेज गति का गलियारा प्रदान करना; (ii) यमुना नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित मुख्य टाउनशिप/वाणिज्यिक केंद्रों को जोड़ना; (iii) क्षेत्र के औद्योगिक एवं शहरी विकास के लिए रास्ता खोलना; और (iv) पर्यटन एवं अन्य सम्बद्ध उद्योगों के लिए अभिसरण का आधार प्रदान करना था।

क्षेत्र में ताज एक्सप्रेसवे परियोजना और सम्बद्ध विकास को सुनिश्चित करने हेतु उ.प्र. सरकार ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (यूपीआईएडी अधिनियम, 1976) की धारा 3 के अन्तर्गत ताज एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना (अप्रैल 2001) की। उ.प्र. सरकार ने ताज एक्सप्रेसवे का नाम परिवर्तित करके यमुना एक्सप्रेसवे और ताज एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का नाम परिवर्तित करके यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) कर दिया (जुलाई 2008)।

यीडा का गठन नोएडा टोल ब्रिज मॉडल की तर्ज पर निजी भागीदारी एवं निवेश के साथ नोएडा और आगरा के मध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण के उद्देश्य से किया गया था। उपरोक्त के अतिरिक्त, यीडा को भूमि अर्जन करना, एक्सप्रेसवे से सटी भूमि के लिए महायोजना तैयार करना, टाउनशिप और सड़क के किनारे सुविधाएं विकसित करना, विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय करना एवं इस उद्देश्य के लिए बनाये गये फण्ड का परिचालन करना था। इस प्रकार, यीडा, यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना के कार्यान्वयन के साथ-साथ यमुना एक्सप्रेसवे से सटे क्षेत्र में टाउनशिप के विकास के लिए उत्तरदायी था।

यीडा ने तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के विकास, वित्त की व्यवस्था और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के अन्तर्गत नोएडा और आगरा के मध्य छः लेन सुपर एक्सप्रेसवे के निर्माण एवं संचालन के लिए राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के इच्छुक पक्षों से प्रस्ताव आमंत्रित (नवम्बर 2002) किये। जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जेआईएल) को परियोजना के निष्पादन के लिए कन्सेशनायर के रूप में चुना गया और 36 वर्षों की कन्सेशन अवधि के लिए 7 फरवरी 2003 को कन्सेशन समझौता निष्पादित किया गया। 165 किलोमीटर लम्बे यमुना एक्सप्रेसवे को अगस्त 2012 में सार्वजनिक उपयोग के लिए खोला गया था।

यीडा का औद्योगिक विकास क्षेत्र राज्य के छः जिलों (गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा एवं आगरा) के 1,187 गाँवों की 2,68,862 हेक्टेयर कुल भूमि को आच्छादित करता है। कुल 2,68,862 हेक्टेयर क्षेत्र में

से, यीडा ने गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिलों के 171 गाँवों को आच्छादित करते हुए 58,397 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए महायोजना (चरण-I) 2031 तैयार की है, जिसे यीडा के बोर्ड द्वारा 19 अगस्त 2013 एवं उ.प्र. सरकार द्वारा 8 अक्टूबर 2013 को अनुमोदित किया गया था। यीडा ने दूसरे चरण में विकास के लिए चार शहरी केंद्रों (अलीगढ़, मथुरा, आगरा और हाथरस जिलों में प्रत्येक में एक शहरी केंद्र) को चिन्हित किया है। उपरोक्त चार शहरी केंद्रों में से दो शहरी केंद्रों अर्थात् अलीगढ़ में 11,104 हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित करता हुआ टप्पल-बाजना शहरी केंद्र तथा मथुरा जिले में 9,366 हेक्टेयर क्षेत्र को आच्छादित करता हुआ राया शहरी केंद्र की महायोजनाओं को यीडा के बोर्ड द्वारा 14 दिसम्बर 2015 एवं उ.प्र. सरकार द्वारा 8 मई 2017 को अनुमोदित किया गया था। महायोजना (चरण-I) 2031 के अन्तर्गत सम्मिलित क्षेत्र एवं चरण-II में प्रस्तावित शहरी केंद्रों के मानचित्र क्रमशः **परिशिष्ट 1.1** एवं **1.2** में दिये गये हैं।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की भूमिका

1.2 यीडा, उ.प्र. सरकार के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग (आईआईडीडी) के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करता है। आईआईडीडी राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए उ.प्र. सरकार की औद्योगिक एवं अवस्थापना के विकास की नीतियों एवं रणनीतियों को तैयार करता है। आईआईडीडी, यूपीआईएडी अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत गठित सात[1] औद्योगिक विकास प्राधिकरणों (आईडीए) के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित अपने कार्य निष्पादित करता है। यीडा सात आईडीए में से एक है। यीडा के सम्बन्ध में, आईआईडीडी निम्न के लिए उत्तरदायी हैः

- यूपीआईएडी अधिनियम, 1976 के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिये नियम बनाना;
- अपने कार्यों के प्रशासन के लिए यीडा द्वारा तैयार किये गये विनियमों का अनुमोदन करना;
- यूपीआईएडी अधिनियम, 1976 के कुशल प्रशासन के लिए समय-समय पर यीडा को निर्देश निर्गत करना;
- यीडा से रिपोर्ट, रिटर्न एवं अन्य जानकारी माँगना;
- यीडा द्वारा महायोजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना; तथा
- यह सुनिश्चित करना कि विकास कार्य महायोजना के अनुसार किये गये हैं।

[1] नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीनीडा), यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा), उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा), गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) एवं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा)।

यीडा के कार्य

1.3 यूपीआईएडी अधिनियम, 1976 की धारा 6 के अनुसार, यीडा का उद्देश्य औद्योगिक विकास क्षेत्र के नियोजित विकास को सुनिश्चित करना है, जिसके लिए यीडा निम्नलिखित कार्य को करने के लिए उत्तरदायी हैः

- औद्योगिक विकास क्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करना;
- योजना के अनुसार, औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं आवासीय प्रयोजनों के लिए स्थलों का सीमांकन एवं विकास करना;
- औद्योगिक विकास क्षेत्र के विकास के लिए भूमि का अर्जन करना;
- औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिए बुनियादी ढाँचा प्रदान कराना;
- सुविधाएं प्रदान करना;
- औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि के भूखण्डों का विक्रय या पट्टा या अन्यथा आवंटन एवं हस्तांतरण;
- भवनों के निर्माण एवं उद्योगों की स्थापना को विनियमित करना; और
- वह प्रयोजन निर्धारित करना जिसके लिए किसी विशेष स्थल या भूमि के भूखण्ड का उपयोग किया जाएगा, अर्थात् औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन या ऐसे किसी क्षेत्र में कोई अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजन।

यीडा का प्रबन्धन

1.4 यूपीआईएडी अधिनियम, 1976 की धारा 3 यह प्रावधानित करती है कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए गठित प्राधिकरण एक निगमित निकाय होगा जिसमें 11 सदस्य होंगे (सदस्य सचिव के रूप में मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा उ.प्र. सरकार द्वारा नामित पाँच सदस्यों सहित)। इनमें से, सचिव, उद्योग विभाग, उ.प्र. सरकार या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो, पदेन अध्यक्ष होंगे। यूपीआईएडी अधिनियम, 1976 की धारा 4 यह प्रावधानित करती है कि प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति उ.प्र. सरकार द्वारा की जाएगी। तदनुसार, उ.प्र. सरकार ने 11 सदस्यों वाले यीडा का गठन (अप्रैल 2001) किया। तत्पश्चात्, यीडा के बोर्ड ने 15 सितम्बर 2014 को आयोजित अपनी 51वीं बैठक में सम्बन्धित जिलों/प्राधिकरणों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए बोर्ड में विशेष आमंत्रितगणों के रूप में 10 अधिकारियों[2] को सम्मिलित करने का निर्णय लिया।

दिसम्बर 2022 में यीडा के बोर्ड के सदस्यों और विशेष आमंत्रितगणों को **चार्ट 1.1** में दर्शाया गया है।

---

[2] मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र. सरकार; बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और मथुरा जिलों के जिलाधिकारी तथा बुलंदशहर विकास प्राधिकरण, खुर्जा विकास प्राधिकरण, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण एवं आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष।

चार्ट 1.1: यीडा के बोर्ड के सदस्य

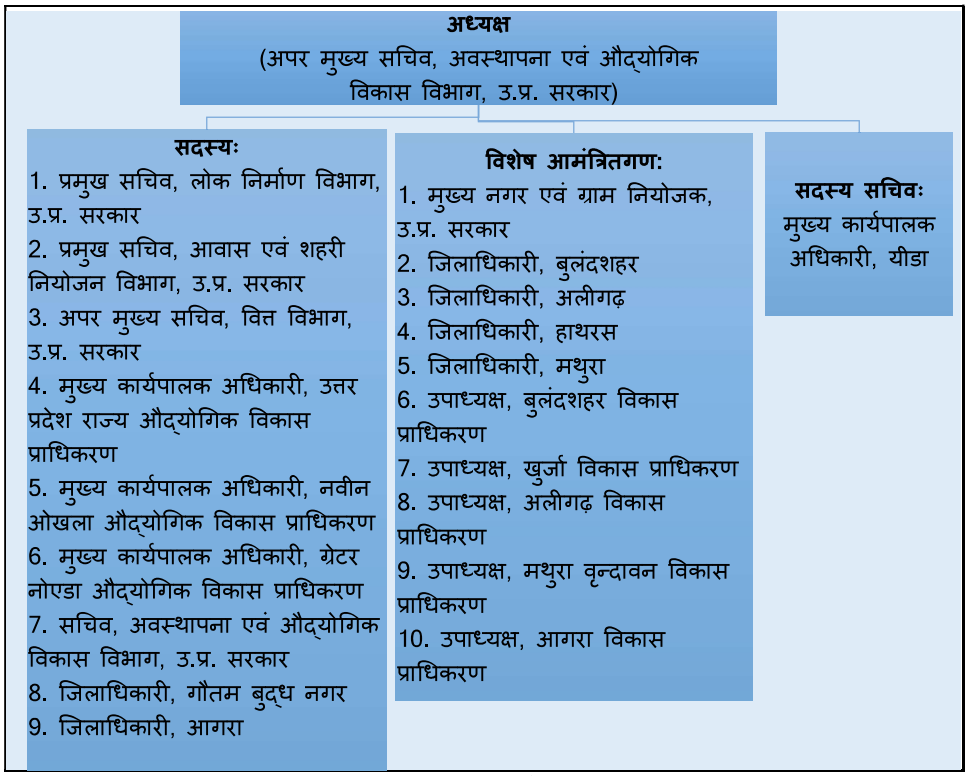

स्रोतः 2 दिसम्बर 2022 को आयोजित 75वीं बोर्ड बैठक का कार्यवृत

यूपीआईएडी अधिनियम, 1976 की धारा 5 (1) यह प्रावधानित करती है कि उ.प्र. सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा निर्धारित नियंत्रण और प्रतिबंधों के अधीन, यीडा अपने कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके ग्रेड एवं पदनाम निर्धारित कर सकता है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी यीडा का पूर्णकालिक अधिकारी होता है, जो अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ), विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी), महाप्रबंधकों और यीडा के अन्य अधिकारियों की सहायता से दिन-प्रतिदिन के कार्यों का निष्पादन करता है।

यीडा की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकलापों के परिणाम

1.5 वर्ष 2005-06 से 2020-21 की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों[3] के अनुसार यीडा की वित्तीय स्थिति और कार्यकलापों के परिणाम **परिशिष्ट-1.3** एवं **1.4** में वर्णित हैं एवं नीचे **चार्ट 1.2** एवं **1.3** में दर्शाये गये हैंः

[3] नकद आधार पर तैयार किये गये यीडा के वित्तीय विवरणों की वर्ष 2015-16 तक की लेखापरीक्षा स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की गयी थी। तत्पश्चात, उ.प्र. सरकार ने वर्ष 2005-06 से आगे की अवधि के लिए यीडा की लेखापरीक्षा सीएजी को सौंपी (जुलाई 2017/जनवरी 2018) और यीडा ने वर्ष 2005-06 से आगे की अवधि के लिए उपार्जन आधार पर तैयार किये गये अपने संशोधित वित्तीय विवरण सीएजी को प्रस्तुत किये।

चार्ट 1.2: यीडा की वित्तीय स्थिति

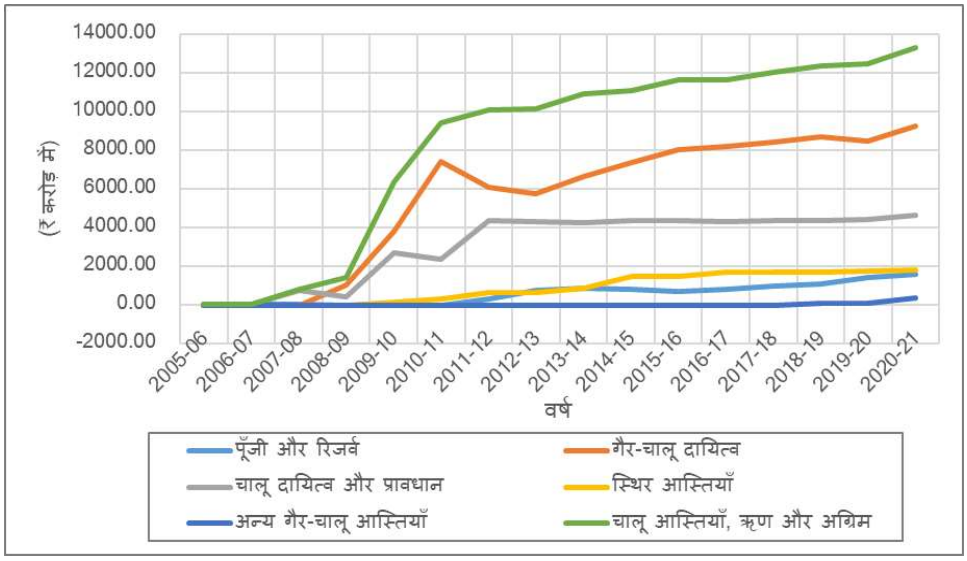

स्रोतः 2005-06 से 2020-21 की अवधि के लिए यीडा के वित्तीय विवरण

वर्ष 2005-06 से 2020-21 की अवधि के दौरान यीडा की वित्तीय स्थिति के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए:

- **विकास और विस्तार:** यीडा ने 16 वर्ष की अवधि में पर्याप्त वृद्धि का अनुभव किया है। कुल आस्तियाँ/दायित्व 2005-06 में ₹ 30.93 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 15,456.62 करोड़ हो गयी, जो लगभग 47 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्शाती है।

- **पूँजी संरचना:** यीडा का पूँजी कोष 2007-08 से ₹ 20 करोड़ पर स्थिर रहा है। हालाँकि, रिजर्व और अधिशेष में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो 2005-06 में ₹ 0.95 करोड़ की हानि से बढ़कर 2020-21 में ₹ 1,572.65 करोड़ के अधिशेष पर पहुँच गया। यह बेहतर लाभप्रदता और आय के प्रतिधारण को दर्शाता है, जिससे यीडा की वित्तीय स्थिति मज़बूत हुई है।

- **ऋण प्रोफाइल:** गैर-चालू ऋण निधियाँ 2010-11 में ₹ 4,750 करोड़ के उच्चतम स्तर पर थी और उसके बाद से 2020-21 में घटकर ₹ 2,015.34 करोड़ रह गयी। अग्रेतर, दीर्घावधि दायित्व 2008-09 में ₹ 3.80 करोड़ से लगातार बढ़कर 2020-21 में ₹ 7,015.78 करोड़ हो गए।

- **आस्ति अवसंरचना:** स्कंध और स्थिर आस्तियाँ 2005-06 में ₹ 0.31 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 13,838.51 करोड़ हो गयी हैं, जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के विकास का संकेत देती हैं।

- **तरलता की स्थिति:** यद्यपि चालू आस्तियाँ चालू दायित्वों से काफी अधिक हैं, जो मज़बूत तरलता को दर्शाता है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चालू आस्तियों का एक बड़ा हिस्सा स्कंधों में बंधा हुआ है। हालाँकि, रोकड़ और

समतुल्य रोकड़ 2020-21 में ₹ 762.09 करोड़ थे परंतु उनमें पिछले वर्षों में उतार-चढ़ाव रहा है।

इस प्रकार, यद्यपि यीडा ने मज़बूत वृद्धि और सुधरती वित्तीय स्थिति प्रदर्शित की है परन्तु उसके दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और अपने अधिदेश की प्रभावी पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इसकी वृहद् परिसम्पत्तियों, देनदारियों और चल रही विकास गतिविधियों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन अति आवश्यक है।

चार्ट 1.3: यीडा के कार्य परिणाम

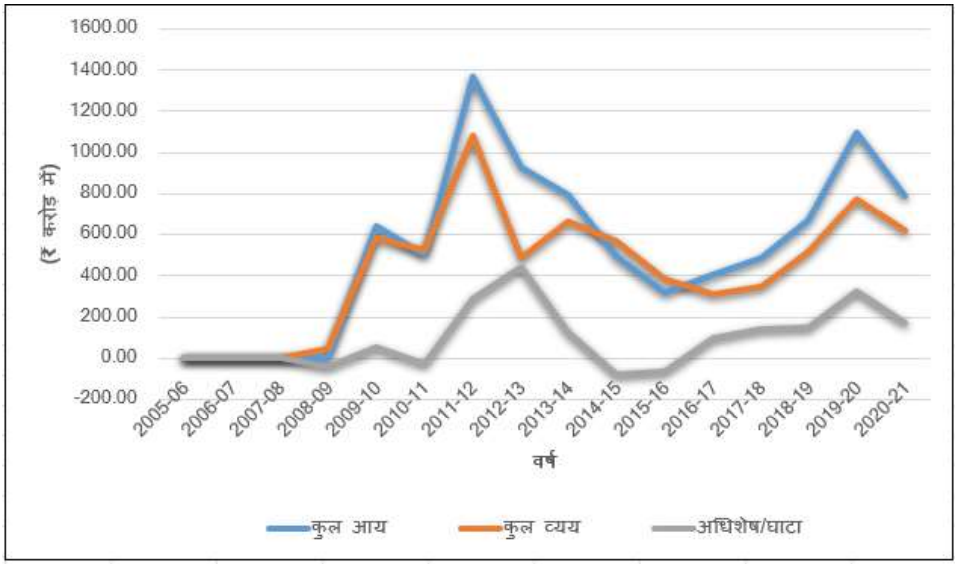

स्रोतः 2005-06 से 2020-21 की अवधि के लिए यीडा के वित्तीय विवरण

वर्ष 2005-06 से 2020-21 की अवधि के दौरान यीडा के कार्यकलापों के परिणामों के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए:

- **परिसम्पत्तियों से राजस्व** : राजस्व का प्राथमिक स्रोत परिसम्पत्तियों (विकसित भूमि और निर्मित परिसम्पत्तियों) के विक्रय से राजस्व रहा है, जिसमें पिछले वर्षों में काफी उतार-चढ़ाव रहा है। यह 2011-12 में ₹ 712.27 करोड़ के अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच कर 2019-20 में ₹ 695.81 करोड़ पहुँच गया, जो आगे 2020-21 में घटकर ₹ 434.86 करोड़ रह गया। परिसम्पत्तियों से अधिशेष अस्थिर रहा है, जो 2008-09 में ₹ 7.98 करोड़ की हानि से लेकर 2019-20 में ₹ 240.32 करोड़ के उच्च स्तर तक रहा है।

- **शहरी सेवाएँ** : शहरी सेवाओं से राजस्व 2008-09 में ₹ 0.09 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 75.04 करोड़ हो गया, जो मुख्य रूप से शुल्क एवं प्रभारों के कारण हुआ है। हालाँकि, इन सेवाओं पर व्यय भी 2010-11 में ₹ 0.25 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 70.88 करोड़ हो गया। 2013-14 और 2014-15 में शहरी सेवाओं से अधिशेष ऋणात्मक था।

- **समग्र परिचालनगत निष्पादन** : परिचालन से अधिशेष उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव के साथ 2009-10 से आमतौर पर सकारात्मक रहा है। 2019-20

में यह ₹ 289.05 करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया किन्तु 2020-21 में घटकर ₹ 149.43 करोड़ रह गया।

• **प्रशासनिक आय और व्यय :** मुख्य रूप से ब्याज और शास्ति से प्राप्त प्रशासनिक आय पर्याप्त किन्तु अस्थिर रही है। यह 2011-12 में ₹ 595.90 करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुँच गयी और 2020-21 में ₹ 277.80 करोड़ पर थी। तथापि, प्रशासनिक व्यय भी उच्च रहा है जो 2005-06 में ₹ 0.43 करोड़ और 2011-12 में ₹ 455.60 करोड़ के बीच रहा। प्रशासनिक व्यय 2020-21 में ₹ 256.24 करोड़ था।

• **अधिशेष/हानि :** सामान्य रिजर्व में हस्तांतरित कुल अधिशेष दो वर्षों अर्थात 2014-15 और 2015-16 को छोड़कर 2011-12 से ही सकारात्मक रहा है। यह 2012-13 में ₹ 442.61 करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया, जो 2020-21 में घटकर ₹ 170.99 करोड़ रह गया।

इस प्रकार, यद्यपि यीडा ने वृहद् राजस्व सृजन और अधिशेष सृजन की क्षमता का प्रदर्शन किया है, इसके वित्तीय निष्पादन में अस्थिरता बेहतर वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

लेखापरीक्षा का कार्य सौंपना

1.6 अप्रैल 2001 में अपनी स्थापना के बाद से ही यीडा की लेखापरीक्षा सरकारी संस्था होने के बावजूद, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। जून 2012 से अप्रैल 2017 के बीच सीएजी के संगठन द्वारा बारम्बार सन्दर्भों के माध्यम से यीडा की लेखापरीक्षा के लिए अनुरोध किया गया, किन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया। उ.प्र. सरकार ने जुलाई/अगस्त 2017 में जा कर यीडा एवं तीन[4] अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा तत्काल प्रभाव से सीएजी को सौंपी। बाद में (जनवरी 2018), उ.प्र. सरकार ने वर्ष 2005-06 से आगे की सभी गतिविधियों और लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए आईआईडीडी के अन्तर्गत सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में सीएजी को नियुक्त किया। यीडा की लेखापरीक्षा सीएजी को सौंपे जाने से पहले, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उ.प्र. सरकार यीडा की लेखापरीक्षा सम्पादित कर रहा था।

लेखाओं के अंतिमीकरण की स्थिति

1.7 उ.प्र. सरकार ने वर्ष 2005-06 के प्रारम्भ से यीडा की लेखापरीक्षा सीएजी को सौंपी (जनवरी 2018)। सीएजी को लेखापरीक्षा सौंपे जाने के चार वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद यीडा ने वर्ष 2005-06 से 2022-23 तक के अपने वित्तीय विवरण महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश, लखनऊ के

[4] नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीनीडा) एवं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा)।

कार्यालय में लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत (नवम्बर 2022 से जून 2024) किए। वर्ष 2005-06 से 2012-13 तक के लिए यीडा के वित्तीय विवरण पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत किए जा चुके हैं और वर्ष 2013-14 से 2021-22[5] के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अंतिमिकृत करने का कार्य प्रगति पर है (जून 2024)।

यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना

1.8 जैसा कि **प्रस्तर 1.1** में चर्चा की गयी है, उ.प्र. सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना की परिकल्पना (2001) की तथा परियोजना के विकास के लिए यीडा की स्थापना (अप्रैल 2001) की।

यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजना के रूप में क्रियान्वित किया गया था। यीडा ने तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने; वित्त की व्यवस्था करने तथा नोएडा एवं आगरा के मध्य छः लेन के सुपर एक्सप्रेसवे के निर्माण एवं संचालन के लिए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इच्छुक पक्षों से प्रस्ताव आमंत्रित किये (नवम्बर 2002)। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जेआईएल) को कन्सेशनायर के रूप में चुना गया और 36 वर्षों की कन्सेशन अवधि के लिए 7 फरवरी 2003 को कन्सेशन समझौता निष्पादित किया गया।

यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना की मुख्य विशेषताएं निम्न थीं:

- बिड वेरिएबल अर्थात कन्सेशन अवधि वह मापदण्ड था जिसके आधार पर वित्तीय बिड का मूल्यांकन किया जाना था, जिसे वर्षों, माह और दिनों में निर्दिष्ट किया जाना था।

- जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जेआईएल) परियोजना (तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी; वित्त की व्यवस्था तथा नोएडा एवं आगरा के मध्य छः लेन सुपर एक्सप्रेसवे का निर्माण एवं संचालन) के क्रियान्वयन के लिए कन्सेशनायर के रूप में चुना गया था क्योंकि उसने 36 वर्ष की न्यूनतम कन्सेशन अवधि उद्धृत की थी।

- बदले में, कन्सेशनायर को एक्सप्रेसवे के उपयोगकर्ताओं पर टोल आरोपित करने का अधिकार दिया गया तथा पाँच या अधिक स्थानों पर 2,500 हेक्टेयर भूमि, जिसमें से कुल 500 हेक्टेयर का एक स्थान नोएडा या ग्रेटर नोएडा में होना था, के विकास का अधिकार दिया गया।

- जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने परियोजना के क्रियान्वयन के लिए विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) के रूप में जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड को निगमित (अप्रैल 2007) किया।

---

[5] वर्ष 2022-23 के लिए यीडा के वित्तीय विवरण, जो जून 2024 में प्राप्त हुए है, की लेखापरीक्षा अभी प्रारम्भ नहीं की गयी है (जून 2024)।

- एक्सप्रेसवे (सर्विस रोड, इंटरचेंजों, टोल प्लाजा और सुविधाओं सहित) के निर्माण के लिए कन्सेशनायर को 1,951.6113 हेक्टेयर भूमि, अर्जन लागत के समतुल्य प्रीमियम और प्रति वर्ष ₹ 100 प्रति हेक्टेयर की दर से पट्टा किराया पर कन्सेशन अवधि के अंत तक पट्टे पर उपलब्ध करायी गयी थी।

- एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भूमि के अतिरिक्त, एक्सप्रेसवे के किनारे पाँच स्थानों पर 2,470.9696 हेक्टेयर भूमि, जिसमे से कुल 498.9393 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक स्थान नोएडा में था, कन्सेशनायर को वाणिज्यिक, मनोरंजन, औद्योगिक, संस्थागत और आवासीय विकास के लिए अर्जन लागत के समतुल्य प्रीमियम और प्रति वर्ष ₹ 100 प्रति हेक्टेयर की दर से पट्टा किराया पर 90 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर उपलब्ध करायी गयी थी।

- कन्सेशन समझौते के प्रावधानों के अनुसार, परियोजना को सात वर्षों के अन्दर पूरा किया जाना था। हालाँकि, यीडा द्वारा एक्सप्रेसवे के संरेखण के अनुमोदन में विलम्ब के कारण मार्च 2007 तक की अवधि के दौरान कार्य की प्रगति प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई।

- 165 किलोमीटर लम्बे यमुना एक्सप्रेसवे को अंततः 9 अगस्त 2012 को सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल दिया गया।

यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना की लेखापरीक्षा

1.9 यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण की लेखापरीक्षा इससे पहले अप्रैल 2012 से मई 2012 के दौरान की गयी थी। लेखापरीक्षा के दौरान निविदा प्रपत्रों, निविदा के अंतिमीकरण और अनुमोदन से सम्बन्धित अभिलेखों और यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना के कन्सेशन समझौते की जाँच अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग (आईआईडीडी) के सचिवालय में की गयी थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कन्सेशनायर के चयन और कन्सेशन प्रदान करने की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी थी और क्या जोखिम/लाभ यीडा और कन्सेशनायर के मध्य अनुकूलतम रूप से साझा किए गए थे और पीपीपी परियोजना एवं कन्सेशन समझौते को प्रभावी एवं उचित तरीके से लागू किया गया था। लेखापरीक्षा परिणामों को 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र-गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम), उत्तर प्रदेश सरकार (2014 का प्रतिवेदन संख्या 4) में सम्मिलित किया गया था।

कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम नीचे सूचीबद्ध किए गये हैं:

- ***कन्सेशन की तर्कसंगतता का आंकलन करने हेतु तंत्र का न होना*** : उ.प्र. सरकार ने न तो सम्भावित कन्सेशन अवधि निर्धारित करने के लिए कोई प्रारूप व्यवहार्यता प्रतिवेदन बनायी और न ही निविदा प्रपत्रों में इस बात का प्रावधान किया कि जैसे ही कन्सेशनायर को पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) 20 प्रतिशत प्राप्त होता है वैसे ही कन्सेशन अवधि समाप्त हो जाएगी, जैसा कि वित्त विभाग, उ.प्र. सरकार द्वारा सुझाव दिया गया था।

- ***भूखण्डों के स्थानों को चिन्हित न करना एवं नोएडा के भूखण्ड का अनुचित आवंटन:*** उ.प्र. सरकार द्वारा निविदा-पूर्व चरण में विकास के लिए दिए जाने वाले भूखण्डों के स्थानों का चिन्हांकन नहीं किया गया था, जिससे कन्सेशन के रूप में दी जा रही भूमि के मूल्य का आंकलन किया जा सके और कन्सेशनायर के लिए उचित लाभांश निर्धारित किया जा सके।

- ***निविदा प्रपत्र में अस्पष्ट प्रावधान*** : उ.प्र. सरकार ने निविदा-पूर्व चरण में ऐसे निर्णय लिए जिससे पीपीपी माध्यम पर परियोजना के क्रियान्वयन की मूल भावना ही कमज़ोर पड़ गयी, यथा:

  - निविदा प्रपत्र में निविदादाताओं को परियोजना को यीडा द्वारा 25 प्रतिशत इक्विटी योगदान के साथ संयुक्त उद्यम के आधार पर या पूर्ण रूप से कन्सेशनायर द्वारा स्वयं निष्पादित करने का विकल्प दिया गया था। इस प्रावधान ने यीडा को इक्विटी भागीदारी, जोखिम, लाभ और जिम्मेदारियों को साझा करने से बचने का मौका दिया और यह पीपीपी के सिद्धांतो के विरुद्ध था क्योंकि इससे सार्वजनिक क्षेत्र को कोई लाभ नहीं मिला और निविदादाताओं को निर्णय लेने पर 100 प्रतिशत नियंत्रण का मौका दिया।

  - निविदा प्रपत्रों में निविदादाताओं को दोनों इक्विटी विकल्पों (यीडा के साथ संयुक्त उद्यम या कन्सेशनायर द्वारा पूर्ण रूप से 100 प्रतिशत) के लिए अलग-अलग कन्सेशन अवधि उदधृत करने की आवश्यकता नहीं थी। दोनों विकल्पों के लिए कन्सेशन अवधियों की तर्कसंगतता का आंकलन न करके, उ.प्र. सरकार ने परियोजना प्रदानगी और प्रबंधन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही से समझौता किया।

- ***निविदा में उचित लाभ प्रदान करने हेतु शर्तों का न होना:*** निविदा प्रपत्रों में कन्सेशन अवधि पर कोई सीमा नहीं लगायी गयी थी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कन्सेशनायर को उसके निवेश पर केवल उचित रिटर्न मिले।

- ***इक्विटी भागीदारी का परित्याग:*** उ.प्र. सरकार ने यीडा द्वारा इक्विटी भागीदारी के परित्याग के निर्णय को स्वीकृति देते समय सम्यक सतर्कता नहीं बरती तथा यीडा की इक्विटी भागीदारी के बिना परियोजना के क्रियान्वयन के वित्तीय लाभ एवं हानि का विश्लेषण किये बिना ही कन्सेशनायर की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।

- ***उच्च आंतरिक प्रतिफल दर (आईआरआर)*** : उ.प्र. सरकार ने 26 प्रतिशत आईआरआर के साथ परियोजना को स्वीकृति दी थी, जो वित्त विभाग, उ.प्र. सरकार द्वारा उचित माने गए 20 प्रतिशत पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) से अधिक था। अग्रेतर, इस सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वास्तविक आईआरआर 26 प्रतिशत की अनुमानित आईआरआर से अधिक हो,

क्योंकि सभी पाँच भूमि पार्सल के विक्रय से अपेक्षित नकदी प्रवाह भूमि के वास्तविक मूल्य से बहुत कम माना गया था।

- ***उच्च टोल दरों का निर्धारण*** : यद्यपि उ.प्र. सरकार को उच्च आईआरआर के बारे में जानकारी थी, जिसमें टोल वसूली से होने वाली आय सम्मिलित नहीं थी, फिर भी टोल दरों को ऐसे तय किया गया जो कन्सेशनायर को ओ एण्ड एम व्ययों को घटाने के बाद 26 प्रतिशत की आईआरआर के ऊपर अतिरिक्त आय प्रदान करेगी।

- ***अधिसूचना से पूर्व स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान किया जाना***: उ.प्र. सरकार ने आवश्यक अधिसूचना निर्गत करने से पूर्व ही कन्सेशनायर को ₹ 9.98 करोड़ मूल्य की स्टाम्प शुल्क छूट प्रदान की, जिसे बाद में पूर्वगामि प्रभाव से प्रदान किया गया। निविदा प्रपत्रों और कन्सेशन समझौते की शर्तों में स्टाम्प शुल्क में किसी भी तरह की छूट का प्रावधान नहीं था और इस रियायत को बाद में देना कन्सेशनायर को अनुचित लाभ पहुँचाना था।

वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित अभिलेखों को जाँच के लिए माँगा गया था, किन्तु उन्हें लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था जैसा कि **प्रस्तर 1.13** एवं **परिशिष्ट-1.5** के क्रम संख्या 16 में बताया गया है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

1.10 वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा यीडा के कार्यकलापों के विभिन्न पहलुओं की समग्र रूप से जाँच करने के लिए इस उद्देश्य के साथ की गयी थी कि यीडा के कार्यकलापों में अपर्याप्ताओं को सामने लाया जा सके, ताकि प्रबंधन सुधारात्मक कार्रवाई कर सके और अपनी दक्षता को बढ़ा सके। तदनुसार, निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था किः

- भूमि का अर्जन वैध विकास उद्देश्यों के लिए विधिपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार किया गया था;
- विकास एवं निर्माण गतिविधियाँ आर्थिक, कुशल और प्रभावी तरीके से गुणात्मक रूप से की गयीं थीं;
- परिसम्पत्तियों का लागत निर्धारण दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया था और परिसम्पत्तियों का आवंटन/विक्रय निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से तथा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार किया गया था; और
- आंतरिक नियंत्रण और ग्राहकों की शिकायतों/परिवादों के निवारण की प्रणालियाँ प्रभावी रूप से कार्य कर रही थीं।

लेखापरीक्षा मानदण्ड

1.11 लेखापरीक्षा जाँच के लिए निम्नलिखित मानदण्ड अपनाये गये थे:

- भूमि अर्जन के उद्देश्य का आंकलन करने के लिए यूपीआईएडी अधिनियम, 1976 एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) अधिनियम, 1985 के प्रावधान;
- विभिन्न भूमि अर्जनों के वैध विकास उद्देश्यों का आंकलन करने के लिए एनसीआरपीबी की क्षेत्रीय योजना 2021, उ.प्र. सरकार की उप-क्षेत्रीय योजना 2021 और यीडा की महायोजना, जोनल योजनाएं, ज़ोनिंग विनियम एवं भवन उपनियमों के प्रावधान;
- भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, उत्तर प्रदेश भूमि अर्जन (करार द्वारा प्रतिकर की अवधारणा और अधिनिर्णय की घोषणा) नियमावली, 1997 और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधान यह आंकलन करने के लिए कि क्या भूमि अर्जन इन अधिनियमों एवं नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं और पद्धतियों के अनुसार था;
- परिसम्पत्तियों के लागत निर्धारण और आवंटन के लिए प्रीमियम/आरक्षित मूल्य तय करने के लिए उ.प्र. सरकार और यीडा के बोर्ड/सीईओ के दिशा-निर्देश/अनुदेश;
- विकास कार्यों के निष्पादन और उसके लेखांकन के लिए यीडा की कार्य प्रक्रिया यह आंकलन करने के लिए कि क्या विकास लागत भूमि के लागत निर्धारण के माध्यम से वसूल की गयी थी;
- परिसम्पत्ति आवंटन नीतियाँ, यीडा द्वारा जारी योजनाओं की विवरणिकाओं[6] की प्रक्रियाएं और नियम एवं शर्तें; और
- प्रशासनिक अनुमोदन, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुमोदन/स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाण पत्र और यीडा के अनुबंध/समझौते।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि

1.12 वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा 2005-06 से 2020-21 की अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों, जैसे कि महायोजना/सेक्टर/जोनल योजनाओं को बनाना, भूमि का अर्जन, भूमि का विकास, परिसम्पत्तियों का निर्माण, परिसम्पत्तियों का मूल्य निर्धारण, परिसम्पत्तियों का आवंटन/विक्रय, निर्माण गतिविधियों का विनियमन एवं उद्योगों की स्थापना और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, में यीडा के कार्यकलापों को आच्छादित करती है।

[6] विवरणिका परिसम्पत्तियों के आवंटन के लिए पूर्ण नियमों एवं शर्तों वाला एक दस्तावेज है। विवरणिका के नियमों एवं शर्तों को पट्टा विलेख में भी सम्मिलित किया जाता है।

भूमि अर्जन, विकास/निर्माण कार्यों के लिए अनुबंध/समझौते, परिसम्पत्तियों के आवंटन/विक्रय और मानचित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में विस्तृत जाँच के लिए नमूने का चयन स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के आधार पर किया गया था, जिसे नीचे **तालिका 1.1** में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 1.1: नमूने का विवरण

क्र. सं.	विवरण	इकाई	कुल प्रकरणों का विवरण		नमूनों का विवरण			
			संख्या	क्षेत्रफल/मूल्य	संख्या	क्षेत्रफल/मूल्य	संख्या (प्रतिशत में)	क्षेत्रफल/मूल्य (प्रतिशत में)
1.	एलएए, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत भूमि का अर्जन	हेक्टेयर	310	10,344.2671	34	5,162.4999	10.97	49.91
2.	सीधे क्रय के माध्यम से भूमि का अर्जन	हेक्टेयर	4,868	2,313.9782	525	521.5065	10.78	22.54
3.	पुनर्ग्रहण के माध्यम से भूमि का अर्जन	हेक्टेयर	334	804.9101	24	361.8330	7.19	44.95
4.	विकास/निर्माण-सिविल कार्य	₹ लाख में	596	2,41,364.27	95	86,330.98	15.94	35.77
5.	विकास/निर्माण-विद्युत कार्य	₹ लाख में	127	32,806.85	28	13,302.18	22.05	40.55
6.	विकास/निर्माण-बागवानी कार्य	₹ लाख में	210	4,146.46	25	1,088.65	11.90	26.25
7.	आवासीय भूखण्डों का आवंटन/विक्रय	वर्गमीटर	28,073	98,36,640.00	100	2,19,158.00	0.36	2.23
8.	आवासीय फ्लैटों का आवंटन/विक्रय	वर्गमीटर	8,709	4,04,947.57	50	3,542.58	0.57	0.87
9.	वाणिज्यिक भूखण्डों का आवंटन/विक्रय	वर्गमीटर	16	2,036.00	16	2,036.00	100.00	100.00
10.	शॉपिंग कॉम्पलेक्स में दुकानों/शोरूम/कार्यालयों का आवंटन/विक्रय	वर्गमीटर	13	711.43	13	711.43	100.00	100.00
11.	आवासीय टाउनशिप भूखण्डों का आवंटन/विक्रय	वर्गमीटर	14	64,47,828.77	14	64,47,828.77	100.00	100.00
12.	ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों का आवंटन/विक्रय	वर्गमीटर	5	4,95,722.00	5	4,95,722.00	100.00	100.00
13.	औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन/विक्रय	वर्गमीटर	2,428	38,55,676.00	64	10,51,070.00	2.64	27.26
14.	मिश्रित भू-उपयोग भूखण्डों का आवंटन/विक्रय	वर्गमीटर	9	23,10,851.00	6	21,47,039.00	66.67	92.91
15.	संस्थागत भूखण्डों का आवंटन/विक्रय	वर्गमीटर	134	14,58,214.00	28	10,94,083.00	20.90	75.03
16.	25-250 एकड़ भूखण्ड योजना के अन्तर्गत भूखण्डों का आवंटन/विक्रय	वर्गमीटर	14	21,06,441.68	9	12,96,668.60	64.29	61.56
17.	विशेष विकास क्षेत्र योजना के अन्तर्गत भूखण्डों का आवंटन/विक्रय	वर्गमीटर	1	1,08,53,327.00	1	1,08,53,327.00	100.00	100.00
18.	मानचित्रों का अनुमोदन	वर्गमीटर	44	2,23,66,962.48	22	1,99,24,794.97	50.00	89.08

स्रोतः यीडा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

उपरोक्त के अतिरिक्त, यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कन्सेशन समझौते से सम्बन्धित अभिलेख और यीडा के अन्य प्रभागों जैसे वित्त, असेट्स, आईटी प्रणाली, मानव संसाधन, विधि, विपणन, आदि के अभिलेखों को भी निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान जाँच के लिए चुना गया था।

लेखापरीक्षा कार्यविधि में सम्मिलित था:

- 8 अक्टूबर 2021 को सम्पन्न हुई एंट्री कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव, आईआईडीडी, उ.प्र. सरकार और यीडा के प्रबंधन को लेखापरीक्षा उद्देश्यों एवं कार्यविधि को समझाना;
- यीडा के निष्पादन का आंकलन करने के लिए अभिलेखों की जाँच करना, डाटा का विश्लेषण करना, लेखापरीक्षा प्रश्न उठाना और उसके अधिकारियों के साथ बातचीत करना;
- आईआईडीडी, उ.प्र. सरकार और यीडा की टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए 27 सितम्बर 2022 को संस्तुतियों सहित ड्राफ्ट निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत करना;
- 21 अक्टूबर 2022 को आयोजित एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस में आईआईडीडी, उ.प्र. सरकार और यीडा के उत्तरों/टिप्पणियों पर चर्चा करना; और
- निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के लिए यीडा[7] के उत्तरों (नवम्बर 2022) और एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस में आईआईडीडी, उ.प्र. सरकार/ यीडा द्वारा सामने रखे गए टिप्पणियों/ विचारों को सम्मिलित करना।

अंतिमीकरण के दौरान निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संशोधित किया गया और प्रतिक्रिया के लिए आईआईडीडी, उ.प्र. सरकार को 13 सितम्बर 2023 को निर्गत किया गया। आईआईडीडी, उ.प्र. सरकार ने यीडा द्वारा नवम्बर 2022 में प्रथम बार प्रस्तुत उत्तरों को ही पुनः अग्रेषित (अक्टूबर 2023) कर दिया। उत्तरों पर समुचित रूप से विचार किया गया है और उन्हें निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

कार्यक्षेत्र में बाधायें

1.13 यीडा ने अप्रैल 2022 में लेखापरीक्षा समाप्त होने तक यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना तथा भूमि अर्जन, विकास एवं निर्माण गतिविधियों के निष्पादन, मानचित्रों के अनुमोदन, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, अंतिम बिलों और माप पुस्तिकाओं से सम्बन्धित कुछ अन्य अभिलेख/सूचना **परिशिष्ट-1.5** में दिये गये विवरण के अनुसार प्रस्तुत नहीं किए, जिससे निष्पादन लेखापरीक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

संस्तुति संख्या 1

यीडा को लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेख/सूचना उपलब्ध न कराने के लिए उत्तरदायित्व तय करना चाहिए।

[7] आईआईडीडी, उ.प्र. सरकार ने यीडा के उत्तरों, जो उसने नवम्बर 2022 में दिए थे, को अग्रेषित (जनवरी 2023) किया था।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की विषयवस्तु

1.14 इस निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की विषयवस्तु को सात अध्यायों के अन्तर्गत व्यवस्थित किया गया है जो इस प्रकार हैंः

I. सामान्य
II. नियोजन
III. भूमि का अर्जन
IV. परिसम्पत्तियों का विकास और निर्माण
V. परिसम्पत्तियों का मूल्य निर्धारण
VI. परिसम्पत्तियों का आवंटन
VII. कॉर्पोरेट गवर्नेंस और आंतरिक नियंत्रण

अध्याय I में लेखापरीक्षा सौंपना, लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मानदण्ड, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा कार्यविधि का वर्णन किया गया है। अन्य छः अध्यायों में यीडा के कार्यकलापों के विभिन्न पहलुओं पर लेखापरीक्षा परिणाम सम्मिलित हैं। अध्याय VI- परिसम्पत्तियों का आवंटन को दो उप-अध्यायों यथा आवासीय टाउनशिप और ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों का आवंटन तथा औद्योगिक, संस्थागत, मिश्रित भू-उपयोग और अन्य परिसम्पत्तियों का आवंटन में विभाजित किया गया है।

उपरोक्त अध्यायों में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों में यीडा को राजस्व की हानि, कम वसूलियाँ, आवंटियों को अनुचित लाभ और परिहार्य/अधिक व्यय के दृष्टान्त सम्मिलित हैं जिनका मौद्रिक मूल्य ₹ 8,125.52 करोड़ है।

संस्तुति संख्या 2

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा परिणाम नमूना प्रकरणों में देखे गये थे। यीडा सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अन्य शेष प्रकरणों में भी इसी प्रकार के विषयों की जाँच कर सकता है।

अभिस्वीकृति

1.15 इस निष्पादन लेखापरीक्षा के सम्पादन के दौरान यीडा द्वारा दिये गये सहयोग और सहायता को लेखापरीक्षा अभिस्वीकार करती है।